श्री सभापति: मंत्री जी, आपका गला खराब है और आप बोल नहीं सकेंगे, इसलिए बैठ जाइए ...(**व्यवधान**) हम इसे पोस्टपोन कर देते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी स्वयं इसका जवाब दें, इसलिए आप इसे पोस्टपोन करवा दीजिए।

श्री सभापति: ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को पोस्टपोन करता हूं, लेकिन मंत्री जी, आपका जो कॉलिंग अटेन्शन मोशन है, मैं उसका क्या करूं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, उसे भी पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि कॉलिंग एटेन्शन पर भी इन्हें लम्बा बोलना पड़ेगा इसलिए उसे भी किसी और दिन ले लीजिए।

श्री सभापति: ठीक है।

States lagging behind in the PMGSY

*309. SHRI VIJAY J. DARDA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 15 States are lagging behind in the 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana';

(b) if so, which are the States and the year from which they have not claimed their share of funds from the Central Government; and

(c) why such lapses were not detected during this period through annual review meetings held from time to time?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Details of year-wise allocation and release of funds to States under Pradhan Mantri Gram Sadak Yo1a (PMGSY), State-wise given in the Statement-I (*See* below). 19 States have not taken their full allocation up to the current year, the details of which are also reflected in the Table.

These States have not been able to take their full allocation due to, *inter alia*, inadequate institutional arrangements, limited contracting capacity, delay in obtaining forest clearance/land availability etc. The review meeting with States taken at regular intervals at various levels, focus on such issues and are intended to facilitate the States to improve their absorption capacity and accelerating the pace of works.

Statement-I

Year-wise allocation and release of funds to States under PMGSY (including ADB/WB)

(Rs. in crore)

Sl. No.	State	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		Total	
		Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release	Allocation	Release
1	Andhra Pradesh	190	195.00	190	224.65	190	219.29	90	100.00	90	88.97	100	183.56	850	1011.47
2	Arunachal Pradesh	35	40.95	35	45.00	35	41.51	35	0.00	35	0.00	52	52.00	227	179.46
3	Assam	75	75.00	75	80.00	75	74.92	75	170.02	75	164.52	176	0.00	551	564.46
4	Bihar	150	149.90	150	0.00	150	0.00	150	150.00	150	29.58	332	191.12	1082	520.60
5	Chhattisgarh	87	92.41	87	98.62	87	159.60	87	110.00	87	214.92	235	230.21	670	905.76
6	Goa	5	5.00	5	5.00	5	0.00	5	0.00	5	0.00	5	0.00	30	10.00
7	Gujarat	50	59.81	50	60.00	50	51.70	50	44.35	50	0.00	60	44.35	310	260.21
8	Haryana	20	25.18	20	30.00	20	44.75	20	7.99	20	28.04	25	20.11	125	156.07
9	Himachal Pradesh	60	60.00	60	72.09	60	104.57	60	66.35	60	13.95	82	40.14	382	357.10
10	Jammu & Kashmir	20	20.00	20	0.00	20	35.00	20	0.00	20	20.00	60	0.00	160	75.00
11	Jharkhand	110	110.05	110	120.00	110	0.00	110	123.87	110	0.00	170	67.96	720	421.88
12	Karnataka	95	100.57	95	108.37	95	97.74	95	59.00	95	0.00	105	89.97	580	455.65
13	Kerala	20	19.71	20	27.65	20	11.43	20	10.38	20	10.39	25	0.00	125	79.56
14	Madhya Pradesh	213	217.64	213	248.00	213	450.39	213	290.90	213	256.45	435	295.14	1500	1758.52
15	Maharashtra	130	130.21	130	134.50	130	114.58	130	75.00	130	0.00	140	0.00	790	454.29
16	Manipur	40	40.00	40	40.00	40	0.00	20	0.00	20	18.00	28	0.00	188	98.00
17	Meghalaya	35	34.95	35	45.72	35	35.00	35	0.00	35	0.00	40	0.00	215	115.67
18	Mizoram	20	19.93	20	26.53	20	50.88	20	20.78	20	46.40	27	0.00	127	164.52
19	Nagaland	20	19.75	20	25.53	20	22.23	20	21.44	20	18.00	25	0.00	125	106.95
20	Orissa	175	179.70	175	175.00	175	170.09	175	175.00	175	175.00	268	97.75	1143	972.54
21	Punjab	25	24.66	25	55.00	25	20.39	25	27.35	25	0.00	30	48.90	155	176.30
22	Rajasthan	130	140.09	130	150.00	130	241.74	130	190.16	130	648.55	229	428.10	879	1798.64
23	Sikkim	20	13.16	20	20.00	20	17.81	20	20.00	20	0.00	25	0.00	125	70.97
24	Tamil Nadu	80	99.25	80	88.57	80	80.32	80	85.00	80	79.78	85	0.00	485	432.92
25	Tripura	25	24.75	25	26.85	25	25.00	25	0.00	25	0.00	35	19.79	160	96.39
26	Uttar Pradesh	315	321.11	315	348.11	315	240.54	315	335.27	315	317.47	370	633.53	1945	2196.03
27	Uttaranchal	60	60.63	60	70.00	60	0.00	60	70.41	60	0.00	95	0.00	395	201.04
28	West Bengal	135	135.00	135	149.65	135	159.52	135	135.00	135	270.00	221	0.00	896	849.17

ADB/WB funds were not allocated during 2004-05. These are, however, included in the releases

श्री विजय जे॰ दर्डा: महोदय, भारत सरकार ने 2009 तक पूरे देश को, जहां पॉपुलेशन केवल 1000 है और हिली एवं ट्राइबल एरियाज़, जहां पॉपुलेशन 500 है, रास्ते से जोड़ने का एक संकल्प लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शत-प्रतिशत सब्सिडी पर आधारित है, इसके बावजूद भी सभी प्रदेशों में इसकी प्रगति एक जैसी नहीं है। कुछ राज्य जैसे बिहार, झारखंड, मणिपुर इत्यादि काफी पिछड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक की स्थिति कुछ सामान्य है, इसके क्या कारण हैं और क्या इन राज्यों में ज़िला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को विश्वास में लिया गया है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य पंचायत के संबंध में जानना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास जिन सड़कों की सूची भेजती है, उन्हें वह जिला परिषद द्वारा पारित कराने के बाद ही हमारे पास भेजती है। महोदय, उसमें राज्य सरकारों को कुछ कठिनाइयां हैं, उनकी कंज्युमिंग कैपेसिटी अपने यहां कम है, उनके विभाग का जो आर्गनाइजेशन है, वह कमजोर है और कांट्रेक्टर्स का भी अभाव है। इन कारणों से सभी राज्य सरकार, जिनको जितना अलाटमेंट होता है, उतना वह खर्च नहीं कर पाते हैं। फिर भी, हमने दो बार बैठकें की हैं, जो राज्य पीछे छूट गये हैं, करीब 19 राज्य हैं, अपना जो इस साल तक का हिस्सा उन्हें लेना चाहिए, वह अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। हमारी सभी राज्यों के सेक्रेटरीज़ के साथ बैठक हुई है और माननीय मुख्य मत्रिगण को भी हमने लिखा है, जिन राज्यों का आबंटित पैसा समय पर खर्च नहीं हो रहा है। उनसे हमने आग्रह किया है कि आप अपने स्टेट की कंज्युमिंग कैपेसिटी बढ़ायें और कांट्रेक्टर्स की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए उपाय किये जायें, जिससे भारत निर्माण की जो महत्वाकांक्षी योजना जो चार वर्षों के अंदर, हजार की आबादी समतल में और 500 की आबादी हिली और ट्राइबल एरिया में पक्की सड़कों से जोड़ देना है, उसको पूरा किया जा सके। महोदय, पहले इस पर ढ़ाई हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च होता था, अभी इस साल हमारा बजट करीब 4200 करोड़ रुपये का हुआ, अगले साल 9000 करोड़ रुपये का होगा, इस प्रकार चार वर्षों में हमको 48000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 12000 करोड़ रुपये खर्च करना है। इसका मतलब है कि पहले जो क्षमता थी, उसकी पांच गुणा क्षमता में वृद्धि करनी है। चूंकि गांव में भी सड़क हो और रूरल रोड्स जो देश भर में करीब 26 लाख किलोमीटर है, इसीलिए क्रमवार आबादी के हिसाब से उसको जोड़ने का लक्ष्य है। उसमें हम राज्य सरकारों के बराबर सम्पर्क में हैं। उनकी क्षमता क्या है, उनकी कठिनाइयां क्या हैं? वे अपनी कंज्युमिंग कैपेसिटी बढ़ायें, उनको पैसे की कमी नहीं होगी, इसके लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को पूरा आश्वस्त किया है कि पूरा पैसा खर्च किया जाये और गांव के विकास के लिए लोगों को यातायात की सुविधा प्रदान की जाये।

श्री विजय जे॰ दर्डा: सभापति महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। मंत्री महोदय आपने संकल्प लिया है कि सन् 2009 तक आप पूरे देश को पक्की सड़कों से जोड़ देंगे। आपने अभी उसको

दोहराया है कि पैसे की भी कोई कमी नहीं पड़ेगी, आपकी क्षमता है, मगर उसके बावजूद भी 19 राज्यों ने अभी तक प्रोग्रेस नहीं की है, तो आप उसको कैसे पूरा करने वाले हैं? क्या आपके पास महाराष्ट्र से कोई ऐसे प्रपोजल्स आये हैं और क्या आन्ध्र प्रदेश से भी ऐसे प्रपोजल्स आपके पास आये हैं। जो लैंड एक्वीजिशन की समस्या है, यह एक बड़ी जटिल समस्या बनकर खड़ी है, तो क्या आप उस दृष्टि से राज्यों से बातचीत कर रहे हैं?

श्री सभापति: यह तो राज्यों का काम है। इसको राज्यों से करवाइये।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, जो जमीन का काम है या जो लैंड एक्वीजिशन का काम है, वह राज्य सरकारों का काम है, हम केवल सड़क बनाने के लिए धनराशि देते हैं। माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश का नाम लिया है। महाराष्ट्र में कुछ काम पीछे चल रहा था, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हुआ है और आन्ध्र प्रदेश के सभी माननीय सदस्यों के साथ, हमने परसों आन्ध्र भवन में बैठक की है, उसमें राज्य सरकार के लोग भी मौजूद थे, उन लोगों ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को ज्यादा तरजीह देने की मांग की, हमने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है कि सड़क को बढ़िया बनाया जाये। ...(व्यवधान)...

श्री विजय जे॰ दर्डा: आप टारगेट कैसे पूरा करेंगे?

श्री सभापति: आप लैंड एक्वीजिशन का काम दर्डा जी को दे दीजिए।

श्री नंदी येल्लैया: सभापति महोदय, अभी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि कई ऐसे राज्य हैं, जो खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी आन्ध्र प्रदेश के सांसदों की दो दिन पहले आन्ध्र भवन में मीटिंग हुई, वहां पर इसका जिक्र नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार की ओर से कोई ऐसे प्रपोजल्स हैं जिनमें आपके द्वारा रकम देने के बाद खर्च नहीं हुआ – क्या आपके पास कोई ऐसा बैलेंस है? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, जो आन्ध्र प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक हुई, उसमें आन्ध्र प्रदेश के मंत्री श्री दिवाकर रेड्डी जी भी मौजूद थे और उन्होंने केवल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का ही जिक्र किया तो संभवत: देर से आये होंगे या...(**व्यवधान**)...

श्री नंदी येल्लैया: सर, मैं मीटिंग में था, मैंने इसका जिक्र किया था।...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य वहीं मौजूद थे, श्री दिवाकर रेड्डी साहब ने केवल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का ही जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो पहले से डब्ल्युबीसी और मोड़म से सड़क बनाई गई थी, उसको पक्की करा दिया जाये। हमने उनको आश्वस्त किया कि जिस सड़क का अपग्रेड करना है, उसमें उनकी योजना भी शामिल की जायेगी।

श्री वसंत चव्हाण: धन्यवाद सभापति महोदय, जो जानकारी सरकार से मिली है, इससे ही पता चलता है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम सरकार किस नीति से कर रही है। मुझे इस बात में आश्चर्य होता है कि 2005-06 में केन्द्र की तरफ से देश के पांच राज्यों को एक पैसा भी रिलीज़ नहीं किया गया। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड - इन पांच राज्यों को कुछ पैसा नहीं दिया गया, एक पैसा भी रिलीज़ नहीं किया गया। इसके विशेष कारण क्या हैं और इसके बारे में केन्द्र की नीति क्या है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जो पूर्व के वर्षों में राज्य सरकारों को राशि दी गयी थी, उसका कम से कम 60 प्रतिशत अगर वे खर्च कर लेते, तब हम उन्हें अगली राशि देते। परन्तु अभी तक उन्होंने खर्च नहीं किया है इसलिए हमने इनको इस वर्ष राशि रिलीज़ नहीं की है। लेकिन इन राज्य सरकारों के सचिवों ने हमें सूचना दी है कि वे अब जल्दी ही यूटीलाइज़ेशन सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। तब हम उनको तुरन्त राशि रिलीज़ करेंगे। उनके लिए राशि रखी हुई है, उनका हिस्सा कहीं गया नहीं है।

Provisions in the Armed Forces Tribunal

*310. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the proposed Armed Forces Tribunal will address the inherent blatant deficiency in military law *i.e.* the absence of remedy of appeal against the order of the court martial;

(b) whether the existing court martial system under military law is regulated by mere power of military command rather than law;

(c) whether the western nations have upgraded their military justice system at per with civilian criminal justice system in the light of emerging changes in human rights standards; and

(d) whether Government will consider formulating a comprehensive common code of justice/discipline for all the three forces, 9arating the Judge Advocate General branch from the command control?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The proposed Tribunal shall exercise, on and from the appointed day, all the jurisdiction, powers and authority exercisable under this Act in relation to appeal against any order, 8ision, finding or sentence